

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बारा जिला बारा (राज.)

प्रार्थना-पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
135/21	88, 89, 90, 91, 92 RTA	बामला	बारा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
सुलोचना	बनाम	राजस्थान सरकार	

वकील :- श्री धर्मेन्द्र सिंह चौधरी **आदेश पत्रक** वकील:-
दिनांक कार्यवाही एवं आदेश विविध संदर्भ

28.09.2021 अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92 आर. टी. एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी के न्याया0 में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जर्ज सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 11.11.21 को पेश हो।

11-11-21 गैठसीन अधिकारी ~~श्री प्रभाकर~~ को पत्र में रहने से पूर्ववत दिनांक 16-12-21 को प्रस्तुत हो।
श्री डर
उप खण्ड अधिकारी बारा

16-12-21 पत्रावली पेश हुई कमील नही हुआ जर्ज नही गण की लखी है लखनाक पेश नही पत्रावली नही लखी दिनांक 1-2-22 को पेश हो।

1-2-22 गैठसीन अधिकारी को पत्र में रहने से पूर्ववत दिनांक 5-4-22 को प्रस्तुत हो।
श्री डर
उप खण्ड अधिकारी बारा

5-4-22 पत्रावली पेश हुई कमील नही हुआ जर्ज नही गण की लखी है Ref. Ad का लखनाक पेश नही पत्रावली नही लखी दिनांक 16-5-22 को पेश हो।

16/5/22 गैठसीन अधिकारी को पत्र में रहने से पूर्ववत दिनांक 20/11/22 को प्रस्तुत हो।
श्री डर
उप खण्ड अधिकारी बारा

20/6/22 गैठसीन अधिकारी को पत्र में रहने से पूर्ववत दिनांक 29-8-22 को प्रस्तुत हो।
श्री डर
उप खण्ड अधिकारी बारा

